मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. F11-1 /2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः - आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्यो हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्ति के संदर्भ में नीति- निर्देश।

राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों में नियमित कार्मिकों की उपलब्धता में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी की सेवायें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नीति- निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति आवश्यक है, उनका प्रथमतः संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा चिन्हांकन किया जाये ।

(2) आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से चिन्हांकित पदों के विरूद्ध मानव संसाधन सेवायें तब तक ही प्राप्त की जाये, जब तक सेवाभर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार योग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं होते हैं ।

(3) आउटसोर्स एजेन्सी का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि जिला स्तरीय अधिकारी से अन्यून स्तर का हो, द्वारा भण्डार कय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अनुसार किया जाये ।

(4) विभाग द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की सेवायें, विभिन्न बजटीय योजना जहाँ योजना अंतर्गत ऐसा व्यय अनुमत्य हो, के अंतर्गत नियत उद्देश्य शीर्ष - 31 (व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां) में बजट की उपलब्धता के अध्याधीन ही प्राप्त की जायें। बजट की प्रत्याशा में आउटसोर्स एजेन्सी से सेवायें प्राप्त नहीं की जायें ।

(5) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति नियमित पदों से होने पर आउटसोर्स की सेवायें तत्काल समाप्त की जाये ।

(6) विभाग द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के नियमानुसार कटौत्रे एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित किये जायें।

(7) आउटसोर्स एजेन्सी की न्यूनतम निविदा की राशि की गणना निम्नानुसार (अ+ब+स के योग अनुसार) की जाये : -

(अ) कर्मियों के लिये श्रमायुक्त द्वारा नियत पारिश्रमिक

(ब) वैधानिक देयताएँ ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि

(स) एजेन्सी के प्रबंधकीय शुल्क (अ का 10%)।

(8) उपरोक्तानुसार उल्लेखित सेवाओं से भिन्न सेवा हेतु आउटसोर्स सेवा नियोजन करने के लिये वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

उपरोक्त नीति-निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्र F11-1 /2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव/निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव,लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

12. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
16. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
17. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
19. सचिव, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
20. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
21. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
23. समस्त अपर सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ परामर्शी/अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग ।
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
28. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29. गार्ड फाईल ।

31/03/2023

(विवेक कुमार घारू)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग